मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 9-3/2012/नियम/चार भोपाल, दिनांक, 15 मार्च, 2012

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय.—सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के एफ.बी.एफ./जी.आई.एस. एवं शासकीय कर्मचारी बीमा सह बचत योजना के अन्तर्गत भुगतान की प्रक्रिया के संबंध में.

वर्तमान में शासकीय सेवकों के सेवानिवृत्ति के समय उपर्युक्त वर्णित योजनाओं में जमा अंशदान राशि की पुष्टि जिन-जिन विभागों में पदस्थ थे वहां से कराने के पश्चात् भुगतान करने के निर्देश हैं. शासन के ध्यान में आया है कि कतिपय विभाग जहां शासकीय सेवक पूर्व में पदस्थ थे बंद हो गया है या अन्य किसी कारण से योजना में निरंतर जमा राशि की जानकारी उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिस कारण उक्त स्वत्वों के भुगतान में काफी विलम्ब होता है.

2. अत: राज्य शासन द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक शासकीय सेवक के सामान्य भविष्य निधि पास बुक में वर्णित योजनाओं के अन्तर्गत जमा मासिक अंशदान की प्रविष्टियां अनिवार्य रूप से की जाकर उनका सत्यापन आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा किया जाये, ताकि उक्त वर्णित योजनाओं में किये गये अंशदान की पुष्टि सुगमता से होने के साथ हो योजनान्तर्गत जमा राशि के सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को भुगतान में विलम्ब न हो. कृपया संबंधितों को उक्तानुसार सामान्य भविष्य निधि पास बुक में प्रविष्टि करने एवं योजनान्तर्गत जमा राशि की पुष्टि के आधार पर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-
(एस. एन. मिश्रा)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.